भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 200

01.12.2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र के हिंगोली में वन क्षेत्र में गिरावट

200. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिंगोली जिले में वन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से लगातार घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जिले में पुन: वनरोपण, वनीकरण और सामाजिक वनीकरण के लिए कोई नई योजना स्वीकृत की है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत हिंगोली के लिए स्वीकृत अथवा प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है, जो देश के वन और वृक्ष आवरण का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है और उसके निष्कर्ष भारत के वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित होते हैं। वन आवरण का मूल्यांकन रिमोट सेंसिंग तकनीक पर आधारित संपूर्ण मानचित्रण अभ्यास है, जो राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त गहन क्षेत्र सत्यापन और क्षेत्रीय डेटा द्वारा समर्थित है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का कुल वन आवरण 111.73 वर्ग किलोमीटर है, जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.31% है। आईएसएफआर 2021 से आईएसएफआर 2023 के बीच हिंगोली जिले का कुल वन आवरण 1.55 वर्ग किलोमीटर घटा है।

वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है। देश के वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम एवं नियम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को वन और वृक्षों के संरक्षण के लिए एडवाइजरी जारी करता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से मिलने वाली निधि शामिल हैं जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम), वन अग्नि/दावानल रोकथाम और प्रबंधन योजना (एफएफपीएम), और नगर वन योजना (एनवीवाई)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत वनीकरण भी कराया जाता है।

मंत्रालय जिला-विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है; वित्तीय सहायता पूरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाती है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2024-25 के दौरान एफएफपीएम योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को ₹14.25 करोड़ की राशि जारी की है। काम्पा के अंतर्गत, इसी अवधि में महाराष्ट्र के लिए ₹3323.92 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, जीआईएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक 6766 हेक्टेयर क्षेत्र में जीआईएम कार्यकलापों को लागू करने के लिए स्वीकृत वार्षिक परिचालन योजनाओं के अनुसार कुल ₹10.30 करोड़ जारी किए गए हैं।

इन योजनाओं के तहत प्रदत्त निधियाँ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन करती हैं ताकि वे पारिस्थितिक पुनर्स्थापन उपायों जैसे कि जंगलों और वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर वृक्षारोपण, वन परिदृश्य पुनर्स्थापन, पर्यावास सुधार, मृदा और जल संरक्षण, संरक्षण कार्यकलापों और अन्य संबंधित हस्तक्षेपों के माध्यम से वन और वृक्षावरण को बढ़ा सकें।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर और वर्तमान वर्ष में भी देशभर में वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए वृक्षारोपण अभियान “एक पेड़ माँ के नाम #Plant4Mother” शुरू किया गया है। यह अभियान “संपूर्ण सरकार” और “संपूर्ण समाज” दृष्टिकोण का पालन करता है जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी होती है ताकि देश में हरितावरण को बढ़ाया जा सके। इस अभियान ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण में योगदान दिया है जिससे देश में हरितावरण बढ़ाने में मदद मिली है।

*****